असाधारण रजिस्ट्रेशन नं. जे के–33

जम्मू और कश्मीर अधिकारिक राजपत्र

खंड–138] जम्मू, सोमवार, 13 अक्तूबर, 2025/21 अश्विन, 1947. [सं. 29–4

इस भाग को अलग पृष्ठीकरण दिया गया है ताकि इसे एक अलग संकलन के रूप में दर्ज किया जा सके ।

भाग II—सी

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचनाएं, सूचनाएं एवं आदेश।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

दिनांकः 13 अक्तूबर, 2025

21 अश्विन, 1947 (शक)

अधिसूचना

सं. 100/जेएंडके.–वि.स./2/2025 :– यतः, जम्मू–कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा में 77–नगरोटा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री

देवेन्दर सिंह राणा का स्थान उनकी मृत्यु होने के कारण 31 अक्तूबर, 2024 को रिक्त हो गया है ; और

2. यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ उप–निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है।

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उप–धारा (1), धारा 30 और धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वारा :–

(अ) जम्मू–कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के उक्त 77–नगरोटा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम के उपबंधों और तद्वीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार 16 नवम्बर, 2025 (रविवार) से पहले जम्मू–कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ एक व्यक्ति को निर्वाचित कर दिया जाए ; और

(ब) उक्त निर्वाचन के संबंध में, निम्नलिखित निर्धारित करता है :–

(क) नाम–निर्देशन करने हेतु अंतिम तारीख, 20 अक्तूबर, 2025 (सोमवार) ;

(ख) नाम–निर्देशनों की संवीक्षा करने हेतु अंतिम तारीख, 22 अक्तूबर, 2025 (बुधवार) ;

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने हेतु अंतिम तारीख, 24 अक्तूबर, 2025 (शुक्रवार) ;

(घ) जिस तारीख को, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान कराया जाएगा, 11 नवम्बर, 2025 (मंगलवार) ;

(ड.) वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा, 16 नवम्बर, 2025 (रविवार) ; और

(स) पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान करवाया जाएगा।

आदेश से,

ह./-

सुमन कुमार दास
सचिव

सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित ।

ह./-

अनिल सलगोत्रा (ज.क.प्र.से.),
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र।